न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/78/2018

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
प्रताप सिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड जिला अलवर।	प्रभारी अधिकारी विकास प्रकोष्ठ कलैक्ट्रेट, अलवर नोडल अधिकारी राजस्थान लोक सेवाओ की गारंटी अधिनियम—2011

अपील राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम—2011,

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 26—06—2018

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 14.05.2018 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.18 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलैक्ट्रेट, अलवर द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलैक्ट्रेट, अलवर से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 26.06.2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलैक्ट्रेट, अलवर ने पत्रांक 1230 दिनांक 25.06.18 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 14.05.18 के संबंध में प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलैक्ट्रेट, अलवर द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 938 दिनांक 24.05.18 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलैक्ट्रेट, अलवर के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर अलवर
जिला कलक्टर अलवर (राज0)